छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा षोडश सत्र अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 जुलाई, 2018

(आषाढ़ 14, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 05 से 13, 15 एवं 16 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 04 एवं 14 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी एवं विद्यारतन भसीन अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अमित अजीत जोगी के स्थान पर श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 50 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की

अपेक्षानुसार वर्ष 2017-18 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा

(2) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004, (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 **पटल पर रखे।**

4. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा गरियाबंद जिले के ग्राम सूपेबेड़ा में किडनी रोग के कारण ग्रामीणों की हो रही निरंतर मौत संबधी 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना पढ़ी गई।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आसंदी से आग्रह किया कि चर्चा कराने के पश्चात मंत्री जी का वक्तव्य आये।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि मंत्री जी के वक्तव्य के पश्चात इस पर निर्णय किया जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य गर्भगृह में आये)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, दिलीप लहरिया, दलेश्वर साहू, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, गुरूमुख सिंह होरा, अरूण वोरा, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, शंकर ध्रुवा, (डॉ) प्रीतम राम, कवासी लखमा, भोलाराम साहू, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा एवं गिरवर जंघेल।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए सभा भवन से बाहर गये)

6. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

7. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य एवं श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, संसदीय सचिव के जन्मदिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दीं।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री बृहस्पत सिंह, अमरजीत भगत, गिरवर जंघेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर में परिवहन विभाग द्वारा कंडम वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किये जाने में अनियमितता किये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉ. प्रीतम राम, श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य ने प्रदेश में संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा समय पर उपलब्ध नहीं होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री देवजी भाई पटेल
(2) श्री मोहन मरकाम
(3) श्री मोतीलाल देवांगन

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री टी.एस.सिंहदेव, सभापति ने लोक लेखा समिति का तिहत्तरवां, चौहत्तरवां, पचहत्तरवां, छिहत्तरवां, सतहत्तरवां, अठहत्तरवां, उन्यासीवां, अस्सीवां, इक्यासीवां, बयासीवां, तिरासीवां, चौरासीवां, पचासीवां, छियासीवां, अठासीवां, नवासीवां, नब्बेवां, इक्यावनबेवां, बयानबेवां एवं तिरानबेवां,
(2) श्री देवजी भाई पटेल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पंचम, षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्ठम्,
(3) श्री नवीन मारकण्डेय, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्टम्,
(4) डॉ. खिलावन साहू, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का नवम् एवं दशम्,
(5) श्रीमती सरोजनी बंजारे, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम तथा द्वितीय, तथा
(6) श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का तृतीय एवं चतुर्थ **प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।**

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि कार्यसूची के पद क्रम 5 (4) के पूर्व 5 (5) लिया जायेगा)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की।

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018(क्रमांक 14 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित किया

(2) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. खिलावन साहू, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 44 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, श्री सत्यनारायण शर्मा एवं डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 61 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(8) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया किया छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया किया छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(9) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

12. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सूचित किया कि - आज छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर में स्वामी विवेकानंद जी एवं डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी जी की प्रतिमा का अनावरण श्री बलरामजी दास टण्डन, माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ द्वारा सायं 06:30 बजे किया जायेगा ।

पश्चात् सायं 07:00 बजे से वर्ष 2017 हेतु चयनित उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार, उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एवं चतुर्थ विधान सभा की कालावधि हेतु चयनित जागरूक विधायक को पुरस्कृत किये जाने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह एवं चतुर्थ विधान सभा के माननीय सदस्यों हेतु सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ विधान सभा स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में आयोजित है ।

कृपया कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने हेतु कार्यक्रम प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें । पश्चात् आयोजित 'रात्रिभोज' में समस्त माननीय सदस्य, पत्रकार एवं आमंत्रितगण सादर आमंत्रित हैं ।

अपराह्न 3.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 2018 (आषाढ़-15, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा